☎ /Fax- + 05966–220078
E-mail :- eenhranikhet@gmail.com

UTTARAKHAND

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग,रानीखेत।

पत्रांकः 1995 / 10 सी0 दिनांकः 06/ 10 /2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, बागेश्वर।

विषय :– **जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 309 ए के किमी0 133.00 से किमी0 170.00 (बेरीनाग– चकोड़ी–काण्डा–बागेश्वर–ताकुला–अल्मोड़ा) दो लेन चौड़ीकरण हेतु 22.112 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online No. FP/UK/Road/151113/2022)**

सन्दर्भ :– भारत सरकार के पत्रांक सं0 8बी / यू.सी.पी. / 06 / 73 / 2022 / एफ.सी. / 463 दिनांक 06.07.2023

महोदय,

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा जनपद बागेश्वर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 309 ए के किमी0 133.00 से किमी0 170.00 (बेरीनाग–चकोड़ी–काण्डा–बागेश्वर–ताकुला–अल्मोड़ा) दो लेन चौड़ीकरण हेतु 22.112 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बिन्दुवार निम्न प्रकार अनुपालन आख्या प्रस्तुत की गई है :–

क्र.सं.	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	**शर्त संख्या–1** के अनुपालन में वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	**शर्त संख्या–2** शर्त सं0 2 से प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
3	**प्रतिपूरक वनीकरणः–**	
	(क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 44.224 है० अवनत वन भूमि हल्द्वानी क० 02–10.00 है०, पैंसिया क० 01– 6.224 है०, पन्द्रपाली क० 01–15 है० एवं पालडी क० 08 – 13.00 है० पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचे तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए।	**शर्त संख्या–3(क)** के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु धनराशि रू0 1,98,47,333.00 (एक करोड़ अठानवे लाख सैंतालीस हजार तीन सौ तैंतीस रू0 मात्र) की धनराशि उत्तरॉचल कैम्पा के पक्ष में चालान के माध्यम से यूनियन बैंक में जमा करा दी गयी है। चालान की प्रति संलग्न है (संलग्नक नं0 3)।
	(ख) वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी	वन विभाग से सम्बन्धित है।

	(ग) प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र के के0एम0एल0 फाईल, वृक्षारोपण क्षेत्र प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य प्रस्तावित कचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू0एल0एम0पी क्षेत्र का राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।	**शर्त संख्या–3** से प्रयोक्ता एजेंसी सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एव सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तभंन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	**शर्त संख्या–4** से प्रयोक्ता एजेंसी सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
	5. **शुद्ध वर्तमान मूल्य**	
	(क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.03.2003 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्राक 5–1/1998–एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02..2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 22.112 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	**शर्त संख्या–5 (क)** के अनुपालन में एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 2,85,87,499.00 (दो करोड़ पिचासी लाख सतासी हजार चार सौ निन्यानवे) की धनराशि उत्तरॉचल कैम्पा के पक्ष में चालान के माध्यम से यूनियन बैंक में जमा करा दी गयी है। चालान की प्रति संलग्न है (संलग्नक नं0 3)।
	(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अमिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	**शर्त संख्या–5 (ख)** के अनुपालन में एन0पी0वी0 की बढ़ी हुयी धनराशि जमा किये जाने सम्बन्धित बचनबद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है (संलग्नक नं0 4)।
6	State Government will ensure that the Wildlife Management Plan is in accordance with the guidelines of the MoEF&CC dt. 16.01.2022 and is in consonance with the bio-engineering measures suggested by Wildlife Institute of India in order to mitigate the impact of the linear infrastructure project on wildlife. The Project Proponent will submit an undertaking to deposit requisite amount for the implementation of the Wildlife Management Plan.	**शर्त संख्या–6** के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेंसी Wildlife Management Plan हेतु अपेक्षित धनराशि जमा करवायेगी (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
7	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में वृक्षों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 5395 वृक्षों एवं 1201 saplings से अधिक नहीं होगी एवं वृक्ष राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में करेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई	**शर्त संख्या–7** के अनुपालन में 5395 वृक्षों एवं 1201 saplings से अधिक का पातन नहीं किया जायेगा। पेड़ों की कटाई में आने वाले व्यय का वहन प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा किया जायेगा। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)

8	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केदल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।	**शर्त संख्या–8** के अनुपालन में परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से रू0 4,84,34,832.00 (चार करोड़ चौरासी लाख चौंतीस हजार आठ सौ बत्तीस) की धनराशि क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में जमा कर लिये गये है। चालान की प्रति संलग्न (संलग्नक सं0 3)।
9	एफ0आर0ए0, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	**शर्त संख्या–9** के अनुपालन में एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
10	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	**शर्त संख्या–10** के अनुपालन में बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
11	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	**शर्त संख्या–11** के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट नहीं बदला जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
12	वन भूमि पर काई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	**शर्त संख्या–12** के अनुपालन में वन भूमि में कोई श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
13	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय दन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषत वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	**शर्त संख्या–13** के अनुपालन में राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
14	संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward Backward bearings अंकित हो ।	**शर्त संख्या–14** के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
15	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	**शर्त संख्या–15** के अनुपालन में परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
16	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजना के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	**शर्त संख्या–16** के अनुपालन में वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)

	जाएगी।	भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
18	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017 – FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।	**शर्त संख्या–18** शर्त सं0 20 से प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
19	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी।	**शर्त संख्या–19** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
20	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	**शर्त संख्या–20** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
21	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	**शर्त संख्या–21** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
22	अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।	**शर्त संख्या–22** के अनुपालन में अनुपालना रिर्पोट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड कर ली गयी है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
23	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी।	**शर्त संख्या–23** के अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
24	प्रयोक्ता अभिकरण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। किसी भी प्रकार से मलवा निस्तारण वन भूमि पर नहीं किया जायेगा।	**शर्त संख्या–24** के अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
25	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	**शर्त संख्या–25** के अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
26	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल पर (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल पर (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड कर दी

अतः अनुरोध है कि मार्ग में विधिवत स्वीकृति हेतु अपने स्तर से अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार 5–5 प्रतियों में।

06/10/23

अधिशासी अभियन्ता
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत।

पत्रांक / तद्‌दिनांक

1– मुख्य अभियन्ता–क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय प्रथम तल इंस्टीटृयूट ऑफ इंजीनियर्स (भारत) बिल्डिंग नियर आई0एस0बी0टी0 सहारनपुर रोड़, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2– मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तराखण्ड लो0नि0वि0, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3– जिलाधिकारी, बागेश्वर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4– अधीक्षण अभियन्ता, रा0मा0 वृत्त, लो0नि0वि0, हल्द्वानी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5– प्रभागीय लॉगिंग प्रबन्धक, बागेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6– सहायक अभियन्ता, चतुर्थ रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत।

अतः अनुरोध है कि मार्ग में विधिवत स्वीकृति हेतु अपने स्तर से अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार 5–5 प्रतियों में।

अधिशासी अभियन्ता
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत।

पत्रांक / तद्दिनांक

1– मुख्य अभियन्ता–क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय प्रथम तल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स (भारत) बिल्डिंग नियर आई0एस0बी0टी0 सहारनपुर रोड़, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2– मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तराखण्ड लो0नि0वि0, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3– जिलाधिकारी, बागेश्वर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4– अधीक्षण अभियन्ता, रा0मा0 वृत्त, लो0नि0वि0, हल्द्वानी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5– प्रभागीय लॉगिंग प्रबन्धक, बागेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6– सहायक अभियन्ता, चतुर्थ रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत।

बिन्दु सं0............1

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।

सहायक अभियंता,
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0,
रानीखेत।

अधिशासी अभियंता,
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0,
रानीखेत।

बिन्दु सं0............2

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना के लिये आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद वन भूमि सौंपी जाएगी। इस कथन से प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

सहायक अभियंता,
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0,
रानीखेत।

अधिशासी अभियंता,
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0,
रानीखेत।

बिन्दु सं0............3

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि गाईडलाईन्स में दिये गये दिशानिर्देशों के अनुसार अनुपालन किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
रा0मा0खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत

सहायक अभियंता,
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0,
रानीखेत।

अधिशासी अभियन्ता

अधिशासी अभियंता,
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0,
रानीखेत।

बिन्दु सं0............4

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पक्ष में जमा करा दिया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत

सहायक अभियंता,
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0,
रानीखेत।

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत

अधिशासी अभियंता,
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0,
रानीखेत।

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में एन0पी0वी0 की दरों में बृद्धि होती है तो बढ़ी हुयी धनराशि को वन विभाग के पक्ष में जमा किये जाने हेतु प्रयोक्ता एजेंन्सी सहमत है।

सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
रा0मा0खण्ड, लो0नि0वि0	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लो0नि0वि0
सहायक अभियंता,	अधिशासी अभियंता,
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0,	रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0,
रानीखेत।	रानीखेत।

बिन्दु सं0............6

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा Wildlife Management Plan हेतु अपेक्षित धनराशि जमा किये जाने हेतु प्रयोक्ता एजेंन्सी सहमत है।

सहायक अभियन्ता
रा0मा0खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत

सहायक अभियंता,
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0,
रानीखेत।

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय ... लो0नि0वि0

अधिशासी अभियंता,
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0,
रानीखेत।

बिन्दु सं0............7

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि 5395 वृक्षों एवं 1201 Saplings से अधिक का पातन नहीं किया जायेगा। पेड़ों की कटाई में आने वाले व्यय का वहन लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत

सहायक अभियंता,
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0,
रानीखेत।

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लो0नि0वि0
रानीखेत (अल्मोड़ा)

अधिशासी अभियंता,
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0,
रानीखेत।

Ministry :	024 - ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS	Grant:	- All -
PAO:	034415 - PAO(NH), New Delhi	DDO:	234444 - Engineer Liaision Officer
Period:	25-06-2023 till 22-09-2023	Figures In:	Actuals
External Source:	- All -	IEC Code	

Sr. No.	Sanction No.	Bill No.	Sanction Amount	Beneficiary Account No.	Beneficiary Amount	Beneficiary Name	IFSC Code	Accredited Bank	PFMS Transaction Id	PAO/CDDO DSC date & Time Stamp	Debit Status	Credit Status	Scroll Status	Scroll Date	UTR No. (Bank Transaction Id)	Reason For Failure	Physically Verified	External Source Name
413	NH(O)/378	CP00000603	4,84,34,832.00	1508961151113401	4,84,34,832.00	UTTARANCHAL CAMPA	UBIN0996335	CANARA BANK	S092300146087	18-09-2023 15:31:22	Success	Success	Success	18-09-2023	CNRBR52023091863757873		Yes	

सहायक अभियन्ता
रा०मा०खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लो०नि०वि०
रानीखेत (अल्मोड़ा)

बिल्ड सं० -- 8

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

सहायक अभियन्ता
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत

सहायक अभियंता,
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0,
रानीखेत।

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत (अल्मोड़ा)

अधिशासी अभियंता,
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0,
रानीखेत।

बिन्दु सं0............10

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पर्यावरण(संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
रा0मा0खण्ड लो0नि0वि0
रानीखेत

सहायक अभियंता,
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0,
रानीखेत।

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लो0नि0वि0
रानीखेत (अल्मोड़ा)

अधिशासी अभियंता,
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0,
रानीखेत।

बिन्दु सं0............11

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट नहीं बदला जाएगा।

सहायक अभियन्ता
रा0मा0खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत

सहायक अभियंता,
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0,
रानीखेत।

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लो0नि0वि0
रानीखेत (अल्मोड़ा)

अधिशासी अभियंता,
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0,
रानीखेत।

बिन्दु सं0............12

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि में कोई श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।

सहायक अभियंता,
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0,
रानीखेत।

अधिशासी अभियंता,
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0,
रानीखेत।

बिन्दु सं0............13

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा।

सहायक अभियन्ता
रा0मा0खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत

सहायक अभियंता,
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0,
रानीखेत।

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लो0नि0वि0
रानीखेत (अल्मोड़ा)

अधिशासी अभियंता,
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0,
रानीखेत।

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा।

सहायक अभियंता,	अधिशासी अभियंता,
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0,	रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0,
रानीखेत।	रानीखेत।

बिन्दु सं0............15

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

सहायक अभियन्ता
रा0मा0खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत

सहायक अभियंता,
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0,
रानीखेत।

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लो0नि0वि0
रानीखेत (अल्मोड़ा)

अधिशासी अभियंता,
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0,
रानीखेत।

बिन्दु सं0............16

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
रा0मा0खण्ड लो0नि0वि0
रानीखेत

सहायक अभियंता,
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0,
रानीखेत।

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड लो0नि0वि0
रानीखेत

अधिशासी अभियंता,
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0,
रानीखेत।

बिन्दु सं0............17

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी।

सहायक अभियन्ता
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0

सहायक अभियंता,
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0,
रानीखेत।

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लो0नि0वि0
रानीखेत (अल्मोड़ा)

अधिशासी अभियंता,
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0,
रानीखेत।

बिन्दु सं0............18

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42 / 2017–FC दिनॉक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।

सहायक अभियन्ता
रा0मा0खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत

सहायक अभियंता,
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0,
रानीखेत।

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत (अल्मोड़ा)

अधिशासी अभियंता,
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0,
रानीखेत।

बिन्दु सं0............19

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

सहायक अभियन्ता
रा0मा0खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत

सहायक अभियंता,
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0,
रानीखेत।

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय ... लो0नि0वि0
रानीखेत (अल्मोड़ा)

अधिशासी अभियंता,
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0,
रानीखेत।

बिन्दु सं0............20

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।

सहायक अभियंता,
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0,
रानीखेत।

अधिशासी अभियंता,
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0,
रानीखेत।

बिन्दु सं0............21

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति ली जायेगी।

सहायक अभियन्ता
रा0मा0खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत

सहायक अभियंता,
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0,
रानीखेत।

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत

अधिशासी अभियंता,
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0,
रानीखेत।

बिन्दु सं0............22

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि रिर्पोट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

सहायक अभियंता, रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत।	अधिशासी अभियंता, रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत।

बिन्दु सं0.............23

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

सहायक अभियन्ता
रा0मा0खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत

सहायक अभियंता,
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0,
रानीखेत।

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड लो0नि0वि0
रानीखेत (अल्मोड़ा)

अधिशासी अभियंता,
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0,
रानीखेत।

बिन्दु सं0............24

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।

सहायक अभियंता,
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0,
रानीखेत।

अधिशासी अभियंता,
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0,
रानीखेत।

बिन्दु सं0............25

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति ली जायेगी।

सहायक अभियन्ता
रा0मा0खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत

सहायक अभियंता,
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0,
रानीखेत।

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लो0नि0वि0
रानीखेत (अल्मोड़ा)

अधिशासी अभियंता,
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0,
रानीखेत।

बिन्दु सं0............26

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि रिर्पोट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

सहायक अभियन्ता
रा0मा0खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत

सहायक अभियंता,
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0,
रानीखेत।

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत (अल्मोड़ा)

अधिशासी अभियंता,
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0,
रानीखेत।